

राजस्व प्रणल, मध्यप्रदेश-गवालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

23/PBR/11

8BR/10

प्रकरण क्रमांक किपियर
 अनुचित संभाग/जिला अधीक्षक द्वारा दिए गए निम्नलिखित आदेश पृष्ठ को जिला अधीक्षक से दर्शाया जाता है।

तहसील अधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक 106/अधीक्षक 0469, जिलाधीक्षक के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक अनुचित अधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक तहसील का प्रकरण क्रमांक आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक अनुचित अधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक वाद का विषय अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अधिकारी आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश दिनांक के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक के विरुद्ध श्री के अधिकारक द्वारा अपील/पुनरावृत्तकलोकन पत्र प्रस्तुत किया गया जो अंजीकड़ किया जा चुका है। पुनरावृत्तकलोकन अवधि बात्य है। इसी है। पुनरावृत्तकलोकन अधिकारक द्वारा कोई विरुद्ध नहीं है। आदेश, जिसके विरुद्ध इस अपील/पुनरावृत्तकलोकन पत्र प्रस्तुत किया गया जो अंजीकड़ प्रतिलिपि संलग्न है/नहीं है। अपील/पुनरावृत्तकलोकन को प्रतियां दी गई हैं/नहीं। दी गई है। आक्षण शुल्क दें दिया है/नहीं दिया है।	कार्यवाही अधिकारी आदेश अधिकारी संभाग/जिला अधीक्षक, जिला अधीक्षक के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक 30-11-99 प्रस्तुतकार	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

शासन | तुलसी
अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 23—पीबीआर / 2011

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा अदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आगे
के हस्ताक्षर

28-5-2014

अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आयुक्त द्वारा अपने जिस आदेश का पुनर्विलोकन चाहा जा रहा है, वह आदेश एक वर्ष पूर्व पारित किया गया है। इस प्रकार आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति एक वर्ष विलम्ब से चाही जा रही है, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः पुनर्विलोकन की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।

2/ आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/स्व.निगरानी/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 28-2-2009 से पट्टा निरस्त किया जाकर भूमि शासकीय घोषित की गई है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में भूमि शासकीय दर्ज भी हो गई है, परन्तु तत्पश्चात भूमि का विक्रय हो जाने के फलस्वरूप केता द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, और आयुक्त द्वारा दिनांक 30-11-2009 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर पट्टेदार के पक्ष में निर्णय दिया गया है। आयुक्त द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके समक्ष यह नया तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रश्नाधीन भूमि

छोटा जंगल मद की भूमि थी, जिसे पट्टे पर नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को प्रभाव में आ गया था, जिसके अंतर्गत वन भूमि अथवा उसके किसी भाग का गैर वन प्रयोजन के लिए उपयोग प्रतिबंधित था। आयुक्त द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए प्रकरण क्रमांक 106/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2009 में आवश्यक संशोधन हेतु पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है, जो कि प्रदान किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित है। इस संबंध में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि आयुक्त द्वारा एक वर्ष विलम्ब से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, कारण आयुक्त के समक्ष नया तथ्य प्रकाश में आने के तत्काल पश्चात उनके द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है, अतः प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना नहीं ठहराया जा सकता है।

3/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 106/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2009 के पुनर्विलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्त उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करें।

५२
(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष